अध्याय–6

पारिवारिक–सामाजिक भूमिकाएं तथा समायोजन

प्रस्तुत अध्याय के अन्तर्गत सेवानिवृत्त महिलाओं की पारिवारिक–सामाजिक भूमिकाएं तथा समायोजन (सामंजस्य) की दषाओं को स्पश्ट किया गया है। विष्लेशण की दृश्टि पारिवारिक समायोजन, सामाजिक समायोजन तदुपरान्त आर्थिक समायोजन की दषाओं को न्यादर्षों से किए गए व्यक्तिगत साक्षात्कारों से प्राप्त प्राथमिक तथ्यों के आधार पर विष्लेशित करके स्पश्ट किया गया है।

पारिवारिक समायोजन ;थ्ंउपसल ।करनेजउमदजद्ध :

'परिवार' एक ऐसा प्राथमिक समूह है, जिसमें व्यक्ति के सामाजिक जीवन व आदर्षों का निर्माण होता है। वैयक्तिक और सामाजिक दोनों ही दृश्टिकोणों से परिवार नामक संस्था समाज की मौलिक व आधारभूत इकाई है। एक परिवार का जन्म स्त्री–पुरूश के वैवाहिक सम्बन्धों द्वारा होता है। यह सम्बन्ध समाज द्वारा स्वीकृत तथा मान्यता प्राप्त होते हैं और इसके आधार पर उनमें यौन सम्बन्ध स्थापित होने के फलस्वरूप जो संतान उत्पन्न होती है उसे समाज स्वीकार कर लेता है; और वे भी अपने माता–पिता के साथ उस परिवार के सदस्य बन जाते हैं। इस प्रकार परिवार नामक संस्था; **प्रेम, सहयोग, सौहार्द्र, वात्सल्य, सुरक्षा तथा ऐसी अनेक स्वाभाविक भावनाओं पर आधारित होती है जो कि परिवार नामक समिति को अधिक स्थायी और घनिश्ठ बना देती हैं। परिवार के सदस्यों का एक दूसरे के प्रति असीमित उत्तरदायित्व–बोध तथा कर्तव्य भावना; परिवार के संगठन और स्थायित्व के लिए और भी अधिक आवष्यक है। ऋग्वेद में यह प्रार्थना की गई है कि ''मैं प्रजा द्वारा अमरत्व का उपभोग करूॅ।'' अर्थात् विवाह द्वारा मनुश्य परिवार की स्थापना करके अपना विस्तार करता है और परिवार के रूप में स्वयं को अमर बनाता है।** परिवार द्वारा न केवल यौन इच्छाओं की पूर्ति और संतानोत्पत्ति होती है, बल्कि बच्चों का लालन–पालन, षिक्षा व सॉस्कृतिक उपलब्धियॉ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक निरन्तर पहुॅचती रहती हैं। परिवार द्वारा ही मनुश्य को मानसिक संतुश्टि व सुरक्षा प्राप्त होती है, क्योंकि परिवार पति–पति व बच्चों का एक ऐसा घनिश्ठ समूह है जो कि पारस्परिक कर्तव्य बोध के एक सूत्र में बंधे होते हैं। जैसा कि

सर्वश्री मैकाइवर तथा पेज[1] (1953) ने कहा है कि ''परिवार; निष्चित यौन सम्बन्ध द्वारा परिभाशित एक ऐसा समूह है जो पर्याप्त नियमों तथा सहिश्णुता से बच्चों को पैदा करने तथा उनके लालन–पालन की व्यवस्था करता है।'' वास्तव में मनुश्य का जन्म, विकास और समाजीकरण परिवार से ही प्रारम्भ होकर मृत्युपर्यन्त होता है और परिवार के प्रसार से ही समुदाय तथा सम्पूर्ण समाज का निर्माण होता है।

समाजषास्त्री जॉनसन[2] (1969) की मान्यता है कि ''परिवार; विषेश रूप से इस प्रकार संगठित होता है, ताकि समाजीकरण संभव हो सके।'' संक्षेप में परिवार, समाजीकरण के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करता है। इतना ही नहीं परिवार नामक संस्था अपने सदस्यों के चरित्र–निर्माण तथा व्यक्तित्व विकास में विषेश योगदान देती है।

प्रो. थॉमस[3] (1960) के अनुसार पारिवारिक समायोजन से तात्पर्य व्यक्ति द्वारा उन भूमिकाओं के निर्वहन से है, जिनकी अपेक्षा परिवार के सदस्य उस व्यक्ति से करते हैं। जब व्यक्ति अपेक्षित भूमिका का सफलतापूर्वक निर्वहन नहीं कर पाता है तो परिवार में असमायोजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती हैं। परिवार में प्रायः भिन्न–भिन्न रूचि वाले व्यक्ति होते हैं, उनके व्यवहार के तरीके और भावनायें भी अलग–अलग होती हैं। सभी सदस्यों को एक दूसरे से सम्बन्ध स्थापित करने पड़ते हैं। इस प्रकार पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करने से उनमें अनुकूलन करने की क्षमता का विकास होता है। परिवार द्वारा ही व्यक्ति को धर्म, प्रथा, परम्परा, आचार–विचार, रीति–रिवाजें आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। स्पश्ट है कि दूसरों से अनुकूलन की क्षमता, सहनषीलता आदि अत्यधिक महत्वपूर्ण सामाजिक गुणों का विकास व्यक्ति परिवार में रहकर ही करता है।

सेवानिवृत्त व्यक्ति को परिवार में पिता, पति, दादा तथा दादी आदि की विभिन्न भूमिकायें निभानी पड़ती हैं। प्रस्तुत अध्याय में यह जानने का प्रयास किया गया है कि सेवानिवृत्ति के बाद सेवानिवृत्त महिलाएं अपनी विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह किस प्रकार करती हैं तथा विभिन्न बदली हुई परिस्थितियों में वह परिवार के साथ समायोजन किस प्रकार कर पाती हैं। साथ ही यह भी जानने का प्रयास किया गया है कि महिलाएं अपने वर्तमान जीवन तथा सेवानिवृत्ति से पूर्व के जीवन के बारे में क्या सोचती हैं? सेवानिवृत्त व्यक्ति के लिए 'पारिवारिक समूह' उसके सामाजिक जीवन का केन्द्र होता है। उसकी आयु जितनी अधिक होगी साहचर्य के लिए उसे अपने परिवार पर उतना ही अधिक निर्भर रहना पड़ेगा। क्योंकि सामाजिक सम्पर्क वृद्धावस्था में उतने ज्यादा नहीं रहते जितने कि इससे पूर्व होते हैं। वृद्ध लोगों का

सामाजिक सम्बन्धों का दायरा धीरे–धीरे सीमित होता जाता है जिससे उन्हें अपना सामाजिक सम्पर्क सीमित लोगों तथा अधिकांषतः परिवार के लोगों तक ही सीमित रखना पड़ता है।

सामान्यतया भारतीय समाज में दो प्रकार के परिवार पाये जाते हैं, प्रथम संयुक्त परिवार और द्वितीय एकांकी परिवार। संयुक्त परिवार के स्वरूप के सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। **एफ.जी. बेली[4] (1960)** का कहना है कि इस संस्था की विषेशता यह होती है कि सम्पत्ति सम्मिलित होती है। इन्होंने संकुचित अर्थ में संयुक्त परिवार को परिभाशित किया है। **इरावती कर्वे[5] (1953)** ने व्यापक अर्थ में संयुक्त परिवार को परिभाशित किया है। इनका कहना है कि संयुक्त परिवार में व्यक्ति एक ही घर में रहते हैं, एक ही रसोई में बना भोजन करते हैं, सम्पत्ति के सम्मिलित स्वामी होते हैं, जो सामान्य पूजापाठ धर्म–कर्म में सक्रियता के साथ भाग लेते हैं और किसी न किसी प्रकार से रक्त सम्बन्धी होते हैं। इस प्रकार यह स्पश्ट होता है कि संयुक्त परिवार में सम्मिलित सम्पत्ति की प्रमुखता होती है, यद्यपि रक्त सम्बन्धों की भी प्रमुखता होती है, मगर सदैव ऐसा नहीं होता। कुछ परिवारों में नजदीकी रिष्तेदारों को भी परिवार का ही सदस्य माना जाता है तब वह विस्तारित परिवार कहलाता है। एकांकी परिवार से तात्पर्य उस परिवार से है जिसमें पति–पति तथा उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। **ऑगर्बन तथा निमकॉफ[6] (1957)** की मान्यता है कि ''बच्चों सहित अथवा बच्चों रहित एक पुरूश या अकेली स्त्री, के लगभग स्थायी संघ को परिवार कहते हैं।'' इस प्रकार यह स्पश्ट है कि एकांकी परिवार में सदस्यों की संख्या सीमित होती है।

प्रस्तुत अध्याय में संयुक्त तथा एकांकी दोनों प्रकार के परिवारों की उत्तरदात्रीओं से सूचनाएं प्राप्त की गई हैं। जिनमें 208(52:) उत्तरदात्री संयुक्त परिवार से तथा 192(48:) उत्तरदात्री एकांकी परिवार से सम्बन्धित हैं। वर्तमान अध्ययन में यह जानने का प्रयास किया गया है कि विभिन्न बदली हुई परिस्थितियों में सेवानिवृत्त महिलाएं अपने परिवार के सदस्यों के साथ स्वयं को समायोजित कर पाते हैं या नहीं तथा उनके समायोजित होने या न हो पाने के कारण क्या हैं?

तालिका नं0 6(1): सेवानिवृत्ति के बाद साथ रहने वाले सदस्यों का विवरण

क्रम	साथ रहने वाले सदस्य	उत्तरदात्रीओं की संख्या/प्रतिषत		योग (प्रतिषत)
		संयुक्त परिवार	एकांकी परिवार	
1	पति	–– (00.00)	20 (05.00)	20 (05.00)
2	बेटा, बेटी और पति	–– (00.00)	156 (39.00)	156 (39.00)
3	पति, बेटा, बेटी और बहू	96 (24.00)	–– (00.00)	96 (24.00)
4	पति, बेटा, बहू और पोता	111 (27.75)	–– (00.00)	111 (27.75)

5	भाई	01 (00.25)	—— (00.00)	01 (00.25)
6	अकेले	—— (00.00)	16 (04.00)	16 (04.00)
	समस्त योग (प्रतिषत)	208 (52.00)	192 (48.00)	400 (100.00)

उपर्युक्त तालिका के प्राथमिक तथ्यों के विष्लेशण द्वारा यह ज्ञात होता है कि एकांकी परिवार की 20(5:) उत्तरदात्री अपने पति के साथ रहती हैं। 156(39:) उत्तरदात्री बेटा–बेटी और पति के साथ रहती हैं तथा 16(4:) उत्तरदात्री अकेले ही रहती हैं। जबकि संयुक्त परिवार की 96(24:) उत्तरदात्री पति, बेटा, बेटी, बहू के साथ रह रही हैं, 111(27.75:) उत्तरदात्री ऐसी हैं जो पति, बेटा, बहू और पोते के साथ रह रही हैं तथा 1(00.25:) उत्तरदात्री ऐसी हैं जो अपने भाई के परिवार के साथ रह रही है जो विधवा हैं। इससे यह पता चलता है कि चूँकि सभी उत्तरदात्री सेवानिवृत्त हुई हैं, इसलिए अधिकांष उत्तरदात्री अपने परिवार के साथ रहना पसन्द करती हैं, बहुत कम उत्तरदात्री ऐसी हैं जो सिर्फ पति के साथ या अकेले रहती हैं। अध्ययन से यह भी पता चलता है कि हमारे भारतीय समाज में आज भी मानवीय सम्बन्धों में परिवार का महत्व तथा उपादेयता सबसे अधिक है।

तालिका नं0 6(2): सेवानिवृत्ति के समय परिवार के सदस्यों के सहयोगी व्यवहार का विवरण

क्रम	साथ रहने वाले सदस्य तथा सहयोगी व्यवहार	उत्तरदात्री	
		आवृत्तियॉ	प्रतिषत
1	पति	216	54.00
2	पति और पिता	12	03.00
3	पति और बेटी	24	06.00
4	पति और बेटा	20	05.00
5	भाई	12	03.00
6	सभी का समान रूप से सहयोग	116	29.00
	योग	400	100.00

उपरोक्त दर्षायी गई तालिका 6(2) में प्रदर्षित प्राथमिक तथ्यों का विष्लेशण करने पर पता चलता है कि सेवानिवृत्ति के समय 216(54:) उत्तरदात्रीओं को अपने पति का सबसे अधिक सहयोग प्राप्त हुआ है, 12(3:) उत्तरदात्रीओं को पति और पिता का सहयोग मिला, 24(6:) उत्तरदात्रीओं को अपने पति और बेटी का सहयोग प्राप्त हुआ, पति और बेटा का

सहयोग 20(5:) उत्तरदात्रीओं को प्राप्त हुआ तथा 12(3:) उत्तरदात्रीओं को सिर्फ अपने भाई का सहयोग प्राप्त हुआ। जबकि 116(29:) उत्तरदात्री ऐसी भी पायी गयी जिन्हें सभी का समान रूप से सहयोग प्राप्त हुआ। प्रस्तुत विष्लेशण से यह स्पश्ट है कि पति–पति का सम्बन्ध अन्य सम्बन्धों की अपेक्षा अधिक घनिश्ठ होता है तथा पति–पत्नी भावनात्मक रूप से एक दूसरे से अधिक घनिश्ठ रूप से सम्बन्धित होते हैं। इसलिए पति का सहयोग परिवार में पति को सबसे अधिक प्राप्त होता है।

तालिका नं0 6(3): सेवानिवृत्ति से पूर्व तथा बाद में अभिभावक के रूप में बच्चों द्वारा सलाह लेने का विवरण

क्रम	बच्चों द्वारा सलाह लेना	उत्तरदात्रीओं की संख्या (प्रतिषत)	
		सेवानिवृत्ति से पूर्व	सेवानिवृत्ति के बाद
1	सदैव	222(55.50)	186(46.50)
2	कभी–कभी	160(40.00)	210(52.50)
3	कभी नहीं	18(04.50)	04(01.00)
	योग	400(100.00)	400(100.00)

उपरोक्त तालिका 6(3) में सेवानिवृत्ति से पूर्व तथा सेवानिवृत्ति के बाद में उत्तरदात्रीओं से सलाह लेने का विवरण दिया गया है। इससे पता चलता है कि सेवानिवृत्ति के पूर्व तथा सेवानिवृत्ति के बाद बच्चों द्वारा अभिभावक के रूप में उत्तरदात्रीओं से सलाह लेने के स्तर में परिवर्तन आया है। सेवानिवृत्ति से पूर्व 222(55.50:) उत्तरदात्रीओं के बच्चे सदैव अपने अभिभावकों से सलाह लेते थे जबकि सेवानिवृत्ति के बाद सिर्फ 186(46.50:) उत्तरदात्रीओं के बच्चे सदैव सलाह लेते हैं। सेवानिवृत्त से पूर्व जिन उत्तरदात्रीओं के बच्चे अभिभावक के रूप में उत्तरदात्रीओं से कभी–कभी सलाह लेते थे उनमें 160(40:) उत्तरदात्रीओं के बच्चे हैं। जबकि सेवानिवृत्ति के बाद अभिभावक के रूप में कभी–कभी सलाह लेने वालों में 210(52.50:) उत्तरदात्रीओं के बच्चे हैं। सेवानिवृत्ति से पूर्व अपने अभिभावकों से सलाह न लेने वालों में 18(4.50:) उत्तरदात्रीओं के बच्चे हैं तथा सेवानिवृत्ति के बाद अपने अभिभावकों से कभी भी सलाह न लेने वालों में 4(1:) उत्तरदात्रीओं के बच्चे हैं। इस प्रकार यह स्पश्ट है कि सेवानिवृत्ति से पूर्व की अपेक्षा सेवानिवृत्ति के बाद उत्तरदात्रीओं के बच्चों द्वारा अभिभावक के रूप में उत्तरदात्रीओं से सलाह लेने के स्तर में कमी आई है।

तालिका नं0 6(4): उत्तरदात्रीओं से घर के सदस्यों द्वारा सलाह लेने की अपेक्षा का स्तर

क्रम	उत्तरदात्रीओं की सलाह लेने की अपेक्षाएं	उत्तरदात्रीयॉ	
		आवृत्तियॉ	प्रतिषत
1	सदैव	178	44.50
2	कभी–कभी	204	51.00
3	बहुत जरूरी हो तभी	18	04.20
	कुल योग	400	100.00

प्रस्तुत तालिका 6(4) का अध्ययन करने से यह पता चलता है कि 178(44.50:) उत्तरदात्री यह चाहती हैं कि घर के सदस्य उनसे सदैव सलाह लें; 204(51:) उत्तरदात्री चाहती हैं कि घर के सदस्य कभी–कभी उनसे सलाह लें। जबकि 18(4.50:) उत्तरदात्री ऐसी भी पायी गयी हैं जो यह चाहती हैं कि घर के सदस्य तभी सलाह लें जब सलाह लेना बहुत जरूरी हो। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अधिकांष उत्तरदात्री यह चाहती हैं कि उनके बच्चे उनसे कभी–कभी सलाह लें तथा कुछ उत्तरदात्री ऐसी भी पायी गयी हैं जो यह चाहती हैं कि उनके बच्चे उनसे सदैव सलाह लें, मगर बहुत कम उत्तरदात्री ऐसी पायी गयी हैं जो यह चाहती हैं कि उनके बच्चे उनसे जरूरी सलाह लें। स्पश्टतः उत्तरदात्रीयॉ अभिभावक के रूप में स्वयं को अधिक योग्य व जिम्मेदार समझती हैं।

तालिका नं0 6(5): उत्तरदात्रीओं द्वारा बच्चों को नैतिक कर्तव्यों से अवगत कराने का स्तर

क्रम	उत्तरदात्रीयों द्वारा बच्चों को नैतिक कर्तव्यों से अवगत कराना	उत्तरदात्रीयॉ	
		आवृत्तियॉ	प्रतिषत
1	सदैव	300	75.00
2	कभी–कभी	100	25.00
3	कभी नहीं	––	00.00
	योग	400	100.00

उपर्युक्त तालिका 6(5) द्वारा यह दर्षाया गया है कि 300(75:) उत्तरदात्री सदैव अपने बच्चों को नैतिक कर्तव्यों से अवगत कराती हैं, जबकि 100(25:) उत्तरदात्री कभी–कभी ही अपने बच्चों को नैतिक कर्तव्यों से अवगत कराती हैं। एक भी उत्तरदात्री ऐसी नहीं पायी गयी है जो अपने बच्चों को कभी भी नैतिक कर्तव्यों से अवगत न कराती हो। इस प्रकार स्पश्ट है कि आज भी अधिकांषतः व्यक्ति अपने बच्चों को नैतिक कर्तव्यों से अवगत कराना अपना कर्तव्य समझते हैं। प्राप्त प्राथमिक तथ्यों का विष्लेशण करने पर यह भी पता चलता है कि कुछ उत्तरदात्री अपने बच्चों व पति की स्वयं से अपेक्षाओं को लेकर अक्सर चिंतित रहती हैं तथा घर के सदस्य उत्तरदात्रीओं से जो उम्मीदें रखते हैं, उन्हें उत्तरदात्री यथासम्भव पूरा करने का प्रयास करती हैं।

तालिका नं0 6(6): परिवार की किसी समस्या का हल न निकल पाने पर उत्तरदात्रीओं की निराषा का स्तर

क्रम	उत्तरदात्रीओं की निराषा का स्तर	उत्तरदात्री	
		आवृत्ति	प्रतिषत
1	बहुत निराष	98	24.50
2	कम निराष	180	45.00
3	सामान्य	122	30.50
	योग	400	100.00

उपर्युक्त तालिका 6(6) के प्राथमिक तथ्यों का विष्लेशण करने पर पता चलता है कि परिवार की किसी समस्या का हल न निकाल पाने पर 98(24.50:) उत्तरदात्री बहुत निराष हो जाती हैं और 180(45:) उत्तरदात्री कम निराष होती हैं। जबकि 122(30.50:) उत्तरदात्री ऐसी हैं जो परिवार की समस्या का हल न निकाल पाने पर सामान्य/सहज रहती हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि अधिकांषतः उत्तरदात्री परिवार की किसी समस्या का हल न निकाल पाने पर कम निराष होती हैं या फिर सामान्य रहती हैं। बहुत कम उत्तरदात्री ऐसी पायी गयी हैं जो कि बहुत ज्यादा निराष होती हैं। उत्तरदात्रीओं से प्राप्त आनुभविक तथ्यों के आधार पर निश्कर्श है कि लगभग आधी उत्तरदात्रीओं के बच्चे आत्मनिर्भर हैं तथा आधी उत्तरदात्रीओं के बच्चे आत्मनिर्भर नहीं हैं। जिन उत्तरदात्रीओं के बच्चे आत्मनिर्भर नहीं हैं, उनकी जिम्मेदारी स्वयं उत्तरदात्रीओं के ऊपर है। अभी उन्हें बच्चों की षिक्षा, नौकरी व विवाह सम्बन्धी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है।

तालिका नं0 6(7): उत्तरदात्रीओं के अविवाहित बच्चों का विवरण

क्रम	अविवाहित बच्चे	उत्तरदात्रीयों की संख्या	
		आवृत्तियॉ	प्रतिषत
1	एक बेटा	66	16.50
2	एक बेटी	40	10.00
3	एक बेटा, एक बेटी (दोनों)	64	16.00
4	दो बेटी और एक बेटा	20	05.00
5	एक बेटी और दो बेटे	24	06.00
6	एक भी नहीं	186	46.50

	योग	400	100.00

प्रस्तुत तालिका 6(7) के प्राथमिक तथ्यों के विष्लेशण द्वारा यह पता चलता है कि 66(16.50:) उत्तरदात्रीओं को एक बेटे की षादी अभी करनी है। 40(10:) उत्तरदात्रीओं को अभी एक बेटी की षादी करनी है। 64(16:) उत्तरदात्रीओं को अभी एक बेटे व एक बेटी की षादी करनी है तथा 20(5:) उत्तरदात्रीओं को अभी दो बेटियों व एक बेटे की षादी करनी है तथा 24(6:) उत्तरदात्रीओं को अभी एक बेटी व दो बेटों की षादी करनी है। जबकि 186(46. 50:) उत्तरदात्रीओं के सभी बच्चों की षादी नहीं करनी है। इस प्रकार यह स्पश्ट होता है कि लगभग आधे उत्तरदात्रीओं को अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों को पूरा करना अभी बाकी है। उत्तरदात्रीओं से प्राप्त तथ्यों का विष्लेशण करने पर यह भी पता चलता है कि सिर्फ 40(10:) उत्तरदात्री किसी रोग से पीड़ित हैं, जबकि 360(90:) उत्तरदात्री किसी भी रोग से पीड़ित नहीं हैं। जो उत्तरदात्री रोग से पीड़ित हैं उन्हें दमा, हाई ब्लड प्रेषर, थाइराइड तथा डायबिटीज आदि रोग हैं। तथ्यों द्वारा यह भी पता चलता है कि रोगी होने के बावजूद 16(4:) उत्तरदात्री अपना सभी कार्य करने में सक्षम हैं जबकि 21(5.25:) उत्तरदात्री कुछ कार्य करने में ही सक्षम हैं। 11 (2.75:) उत्तरदात्री दूसरों का भी सभी कार्य करने में सक्षम हैं, जबकि 28(7:) उत्तरदात्री दूसरों का कुछ कार्य करने में सक्षम हैं। उत्तरदात्रीओं को रोगी होने के कारण पारिवारिक सदस्यों के साथ सामंजस्य करने में कठिनाई का अनुभव होता है। इससे यह स्पश्ट है कि रोग से प्रभावित उत्तरदात्रीओं की कार्यक्षमता तो प्रभावित होती है, साथ ही उन्हें पारिवारिक सदस्यों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में भी कठिनाई अनुभव होती है।

तालिका नं0 6(8): उत्तरदात्रीओं के दैनिक कार्यों व जरूरतों को संभालने वाले सदस्यों का विवरण

क्रम	दैनिक कार्यों व जरूरतों को संभालने वाले सदस्य	परिवार का स्वरूप				
		संयुक्त परिवार		एकांकी परिवार		योग (प्रतिषत)
		आवृत्तियॉ	प्रतिषत	आवृत्तियॉ	प्रतिषत	
1	स्वयं	30	07ण्50	78	19ण्50	108;27ण्00द्ध
2	पति	40	10ण्00	45	11ण्25	85;21ण्25द्ध
3	बेटा	..	00ण्00	30	07ण्50	30;07ण्50द्ध
4	बहू	66	16ण्50	..	00ण्00	66;16ण्50द्ध
5	बेटी	40	10ण्00	39	09ण्75	79;19ण्75द्ध

6	पोता/पोती	12	03ण्00	..	00ण्00	12;03ण्00द्ध
7	अन्य	20	05ण्00	..	00ण्00	20;05ण्00द्ध
	योग	208	52ण्00	192	48ण्00	400;100ण्00द्ध

उपर्युक्त तालिका 6(8) के प्राथमिक तथ्यों के विष्लेशण द्वारा यह पता चलता है कि संयुक्त परिवार तथा एकांकी परिवार में उत्तरदात्रीओं के दैनिक कार्यों व जरूरतों को संभालने वाले सदस्यों की संख्या में अन्तर है। संयुक्त परिवारों की 30(7.50:) उत्तरदात्री तथा एकांकी परिवारों की 40(10:) उत्तरदात्रीओं तथा संयुक्त परिवारों के 45(11.25:) उत्तरदात्रीओं के पति उत्तरदात्रीओं के कार्यों व दैनिक जरूरतों का ध्यान रखते हैं। एकांकी परिवारों में 30(7.50:) उत्तरदात्रीओं के बेटे उनके दैनिक कार्यों व जरूरतों का ध्यान रखते हैं, जबकि संयुक्त परिवारों की 66(16.50:) उत्तरदात्रीओं के दैनिक कार्यों व जरूरतों को उनकी पुत्रवधुयें संभालती हैं। संयुक्त परिवारों की 40(10:) उत्तरदात्रीओं के तथा एकांकी परिवारों की 39(9. 75:) उत्तरदात्रीओं के दैनिक कार्यों व जरूरतों को उनकी बेटियॉ संभालती हैं। संयुक्त परिवारों की 12(3:) उत्तरदात्रीओं के कार्यों व जरूरतों को उनके पोता/पोती संभालते हैं और संयुक्त परिवारों की ही 20(5:) उत्तरदात्रीओं के दैनिक कार्यों व जरूरतों को परिवार के अन्य सदस्य संभालते हैं। इस प्रकार स्पश्ट है कि संयुक्त परिवारों के सभी सदस्य सेवानिवृत्त महिलाओं का अत्यधिक ध्यान रखते हैं, जबकि एकांकी परिवारों में अधिकांष महिलाओं को स्वयं ही अपनी आवष्यकताओं व कार्यों का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि बुजुर्ग लोगों की देखरेख की दृश्टि से आज भी संयुक्त परिवारों का अत्यधिक महत्व है। प्राप्त प्राथमिक तथ्यों के विष्लेशण द्वारा यह भी पता चलता है कि 368(92:) उत्तरदात्री घर के कार्यों में सहायता करती हैं और मात्र 32(8:) उत्तरदात्री ऐसी हैं जो घर के कार्यों में सहायता करती हैं। उनके कार्यों का विवरण इस प्रकार है।

अग्रांकित तालिका 6(9) के प्राथमिक तथ्यों का विष्लेशण करने पर यह पता चलता है कि 96(24:) उत्तरदात्री घर की सफाई में सहायता करती हैं। 90(22.50:) उत्तरदात्री बगीचे की देखभाल करती हैं। 90(22.50:) उत्तरदात्री बाजार के कार्यों में सहायता करती हैं। 60(15:) उत्तरदात्री अधिकांष समय घर के बच्चों को खिलाती हैं। और 32(8:) उत्तरदात्री अन्य कार्य करती हैं जिनका

तालिका नं0 6(9): उत्तरदात्रीओं द्वारा घर के कार्यों में सहायता करने का विवरण

क्रम	कार्यों का विवरण	उत्तरदात्रीयॉ	
		आवृत्तियॉ	प्रतिषत
1	घर की सफाई	96	24.00
2	बगीचे की देखभाल	90	22.50
3	बाजार के कार्य	90	22.50
4	बच्चों को खिलाना	60	15.00
5	अन्य कार्य	32	08.00
6	कोई कार्य नहीं	32	08.00
	योग	400	100.00

विवरण नहीं दिया, जबकि 32(8:) उत्तरदात्री कोई भी कार्य नहीं करती हैं। स्पश्ट है कि जो उत्तरदात्री घर के कार्यों में सहायता करती हैं, उन्हें कार्य करते समय मानसिक व आत्मिक संतुश्टि तथा खुषी का अनुभव होता है।

तालिका नं0 6(10): उत्तरदात्रीओं द्वारा किये जाने वाले कार्यों के प्रति परिवार के सदस्यों के विचारों का विवरण

क्रम	परिवार के सदस्यों के विचार	उत्तरदात्रीयॉ	
		आवृत्तियॉ	प्रतिषत
1	कुछ कार्यों को पसन्द करते हैं	60	15.00
2	सभी कार्यों को पसन्द करते हैं	240	60.00
3	कुछ कार्यों के प्रति अलग विचार हैं	64	16.00
4	सोचने में असमर्थ हैं	36	09.00
	कुल योग	400	100.00

प्रस्तुत तालिका 6(10) से यह पता चलता है कि 60(15:) उत्तरदात्रीओं के कुछ कार्यों को परिवार के सदस्य पसन्द करते हैं। 240(60:) उत्तरदात्रीओं के सभी कार्यों को परिवार के सदस्य पसन्द करते हैं और 64(16:) उत्तरदात्रीओं के सभी कार्यों में से कुछ के प्रति परिवार के सदस्य अलग विचार रखते हैं। जबकि 36(9:) उत्तरदात्री ऐसी भी हैं जो यह सोचने में असमर्थ हैं कि उनके कार्यों के प्रति परिवार के सदस्य क्या तथा कैसे विचार रखते हैं। इस प्रकार यह पता चलता है कि अधिकांष उत्तरदात्रीओं के परिवारों के सदस्य उत्तरदात्रीओं द्वारा किये जाने वाले सभी कार्यों को पसन्द करते हैं। बहुत कम उत्तरदात्री ऐसी हैं जिनके

परिवार के सदस्य उनके द्वारा किये जाने वाले कुछ कार्यों को ही पसन्द करते हैं, या कुछ कार्यों के प्रति अलग विचार रखते हैं।

तालिका नं0 6(11): उत्तरदात्रीओं द्वारा नापंसद किये जाने वाले कार्यों का विवरण

क्रम	उत्तरदात्रियों द्वारा नापसन्द किए जाने वाले कार्यों का विवरण	उत्तरदात्रीयॉ	
		आवृत्तियॉ	प्रतिषत
1	समाज विरोधी कार्य	98	24.50
2	समय की बरबादी	90	22.50
3	आलसीपन	72	18.00
4	ऐसे कार्य जिनसे परिवार का अहित हो	140	35.00
	योग	400	100.00

उपर्युक्त तालिका 6(11) के प्राथमिक तथ्यों का विष्लेशण करने पर ज्ञात होता है कि 98(24.50:) उत्तरदात्री समाज विरोधी कार्यों को नापसंद करती हैं, 90(22.50:) उत्तरदात्री ऐसे हैं जो समय बरबाद करना पसंद नहीं करती तथा 72(18:) उत्तरदात्री आलसीपन को पसन्द नहीं करती 140(35:) उत्तरदात्री ऐसी हैं जो परिवार का अहित करने वाले कार्यों को पसन्द नहीं करती हैं। उत्तरदात्रीओं से प्राप्त तथ्यों का विष्लेशण करने पर यह भी ज्ञात होता है कि उत्तरदात्रीओं द्वारा नापसंद किये जाने वाले कुछ कार्यों का परिवार के सदस्य अक्सर विरोध करते हैं और सेवानिवृत्ति से पूर्व भी कभी– कभी विरोध किया करते थे। प्राप्त आनुभविक तथ्यों के विष्लेशण से स्पश्ट है कि अधिकांषतः सेवानिवृत्त महिलाओं में पारिवारिक समायोजन की क्षमता होती है। लेकिन कुछ सेवानिवृत्त महिलाओं को परिवार के साथ सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई भी आती है। जो उत्तरदात्री पूर्ण रूप से स्वस्थ्य नहीं है या किसी रोग से ग्रस्त हैं, उनकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है तथा उत्तरदायित्वों के निर्वहन पर प्रभाव पड़ता है। जिससे उन्हें पारिवारिक सदस्यों के साथ सामंजस्य करने में कठिनाई अनुभव होती है। स्पश्ट है कि लगभग सभी उत्तरदात्रीयॉ उन कार्यों को नापंसद करती हैं जिनसे परिवार, समाज तथा देष का अहित हो तथा समय की बरबादी व आलसीपन को भी उत्तरदात्री पसन्द नहीं करती हैं। चूँकि सभी उत्तरदात्रीओं का अधिकांष समय सेवा करते हुए बीता है, इसलिए वे उन कार्यों को पसन्द नहीं करती हैं जिनसे अहित हो। साथ ही इन उत्तरदात्रीओं की दिनचर्या नैतिक नियमों में बंधी होती है, इसलिए ये चाहती हैं कि परिवार के सदस्य भी

सदैव अनुषासन में ही रहकर कार्य करें। इसीलिए उत्तरदात्रीओं के परिवारों के सदस्य उनके कुछ कार्यों से अक्सर सहमत नहीं होते।

सामाजिक समायोजन ;वबपंस ।करनेजउमदजद्ध :

वर्तमान समाज, जिसमें हम रह रहे हैं, सृश्टि के क्रमिक विकास का परिणाम है। सृश्टि के विकास के परिणामस्वरूप धीरे–धीरे परिवार की रचना हुई। परिवार से गोत्र, गोत्र से ग्राम, ग्रामों से समूह, समूहों से समुदाय और फिर समुदायों से समाज का निर्माण हुआ। इस सृश्टि के निर्माण की प्रक्रिया में अगर यदि समानताऐं हैं तो कुछ भिन्नताऐं भी हैं, अगर सहयोग हैं तो संघर्श भी हैं। ये सभी सामूहिक जीवन के स्वाभाविक पक्ष हैं, साथ ही समाज के सदस्यों के बीच पाये जाने वाले विभिन्न प्रकार के अन्तः सम्बन्धों की ही अभिव्यक्तियाँ हैं।

वास्तव में साधारण अर्थ में 'समाज' षब्द से व्यक्तियों अर्थात् समाज के सदस्यों के किसी संगठन का बोध होता है। परन्तु समाज षास्त्र में 'समाज' से व्यक्तियों का नहीं, अपितु उनके बीच पाये जाने वाले पारस्पारिक सम्बन्धों की एक क्रमिक व्यवस्था का बोध होता है। समाज के इसी अर्थ की चर्चा करते हुए **सर्वश्री मैकाइवर तथा पेज[7] (1953)** ने लिखा है कि 'समाज; सामाजिक सम्बन्धों का जाल है।' सम्बन्धों के जाल का अभिप्राय सामाजिक सम्बन्धों की उस जटिल व्यवस्था से है जिसके अन्तर्गत समाज के सभी सदस्य इस प्रकार एक दूसरे से सम्बन्धित हो जाते हैं कि उनके जीवन में सामाजिक सम्बन्धों का एक ताना–बाना सामाजिक जीवन में पारस्परिक सम्बन्धों के एक जटिल जाल की सृश्टि करता है, जिसे हम 'समाज' कहते हैं, और ऐसे पारस्परिक सम्बन्धों को सामाजिक सम्बन्ध कहते हैं।

समाजषास्त्री किंग्स्ले डेविस[8] (1959) का कहना है कि समाज का अस्तित्व और विकास केवल तब ही हो सकता है जब व्यक्ति अपने सहयोग, संघर्श, आषाओं, आदर्षों, लक्ष्यों और साधनों सहित समाज के साथ होता है। केवल सामाजिक सम्बन्धों का ढेर ही समाज नहीं होता। अपितु सामाजिक सम्बन्धों की एक व्यवस्था जब पनपती है तभी हम उसे 'समाज' कहते हैं। बालक जब जन्म ले लेता उस समय वह प्राणि–षास्त्रीय गुण वाला एक जीवित प्राणी होता है। इस समय उसमें न तो कोई सामाजिक गुण निहित होता है और न ही कोई समाज विरोधी गुण स्पश्ट दृश्टब्य होता है। समाज और संस्कृति के बीच पलते हुए वह बालक धीरे–धीरे एक सामाजिक प्राणी के रूप में बदल जाता है। अर्थात् उसमें भॉति–भॉति के सामाजिक गुण विकसित हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को जिसके द्वारा एक प्राणीषास्त्रीय प्राणी एक सामाजिक प्राणी में बदल जाता है, ऐसी प्रक्रिया को हम समाजीकरण कहते हैं।

समाजीकरण एक प्रक्रिया है और वह इस अर्थ में कि व्यक्ति का समाजीकरण जन्म से मृत्यु तक निरन्तर चलने वाली एक प्रक्रिया है।

निःसन्देह; समाज के अन्तःक्रियात्मक सम्बन्ध होने के कारण ही व्यक्ति आदर्ष बनता है, पढ़ना–लिखना सीखता है और ज्ञान प्राप्त करता है। अगर वह समाज का सदस्य नहीं होता तो वह यह सब नहीं कर पाता और मानव कहलाने योग्य नहीं हो पाता। **समाजषास्त्री ग्रीन[9] (1960)** की मान्यता के अनुसार ''समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विषेशताओं, आत्मीयता या अपनापन और ब्यक्तित्व को प्राप्त करता है।'' जब व्यक्ति वृद्धावस्था में पहुँचता है तब भी समाजीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। इस अवस्था में व्यक्ति को परिवार व समाज के साथ कुछ नई भूमिकाओं का निर्वहन करना होता है। उद्योग–धन्धों, व्यापार या नौकरी से वह अवकाष ग्रहण करता है और समाज में संतोशपूर्वक जीवन व्यतीत करता है; या सन्तोशपूर्वक जीवनयापन करना चाहता है।

समाज में व्यक्ति की जो भूमिका होती है वह उसकी योग्यता पर उतनी निर्भर नहीं करती जितनी कि इस बात पर कि समाज का उसके प्रति क्या रवैया है? और समाज ने विभिन्न भूमिकाओं के लिए उसे कहाँ तक अवसर प्रदान किये हैं? जब सामाजिक रवैया अनुकूल होता है, तब वृद्धों को ऐसी भूमिकाओं की अनुमति दे दी जाती है जिनमें प्रतिश्ठा और प्रभुता रहती है लेकिन जब सामाजिक रवैया समाज के अनुकूल नहीं होता है तब व्यक्ति के लिए कम ही भूमिकायें खुली रहती हैं और ये हीन तथा कम प्रतिश्ठा और प्रभुत्व वाली होती हैं। समूह के अन्दर व्यक्ति की स्थिति और वृद्धावस्था में उसे जो भूमिकायें करने दी जाती हैं, वे वृद्धों की संख्या के ऊपर निर्भर करती हैं। यदि वृद्धों की संख्या अपेक्षाकृत कम है तो उन्हें ऊँचा सम्मान मिलता है जब उनकी संख्या ज्यादा रहती है तो इसके विपरीत परिणाम होते हैं।

वृद्धावस्था को भिन्न–भिन्न समूहों में भिन्न–भिन्न दृश्टियों से देखा जाता है और वृद्धों से अलग अलग तरह का व्यवहार किया जाता है लेकिन इस बात में प्रायः एकता दिखाई देती है कि वृद्ध को सभी व्यर्थ और सामाजिक भार समझते हैं। विभिन्न समाजों में वृद्धों के साथ व्यवहार करने के जो रूढ़िगत तरीके अपनाये जाते हैं, वे चाहे जो हों, लेकिन अधिकतर लोग वृद्धों के प्रति नकारात्मक दृश्टिकोण रखते हैं और उनके प्रति निष्चित रूप से उनका गहरा द्वेश होता है। जब सामाजिक दृश्टिकोण प्रतिकूल होती हैं तब यह वृद्धों के प्रतिकूल व्यवहार में प्रकट होता है और यह प्रतिकूल व्यवहार प्रतिकूल सामाजिक दृश्टिकोणों को और

तीव्र कर देता है। वृद्ध लोग समाज में जो भूमिका अपनाते हैं, वह सभ्यता पर नहीं बल्कि जीवन षैली ;स्पमि ैजलसमद्ध पर निर्भर होती हैं।

परम्परागत समाज में वृद्धों को ज्ञान तथा अनुभवों का भण्डार माना जाता था। उन्हें उचित परामर्ष देने, भविश्य बताने और मौसम पर नियन्त्रण करने जैसी जीवनोपयोगी समस्याओं को सुलझाने में कुषल समझा जाता था और उनसे आषा की जाती थी कि वे परेषानियों व समस्याओं को दूर कर देंगे। सभी महत्वपूर्ण कार्य उन्हीं से सम्पन्न करवाये जाते थे। वृद्धों को प्रतिश्ठित एवं उत्तरदायित्वपूर्ण पद प्राप्त थे। सभ्य समाजों में वृद्धों की स्थिति बहुत ही परिवर्तनषील रही है।

आज के सामाजिक–सांस्कृतिक ढाँचे में कुषलता, बल, गति और षारीरिक आकर्शण को बहुत मान सम्मान दिया जाता है और फलतः वृद्धों को प्रायः व्यर्थ तथा भारस्वरूप समझा जाता है। क्योंकि वे उन क्षेत्रों में जहाँ बहुत सम्माननीय लक्षणों की आवष्यकता होती है, युवाओं से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। इसलिए उनके प्रति सामाजिक दृश्टिकोण अनुकूल नहीं होता। वृद्ध लोगों को सांस्कृतिक मूल्यों और अपने अन्दर उनके अभाव की बात का ज्ञान होता है। वे जानते हैं कि समाज उनके बारे में क्या सोचता है, और इसके फलस्वरूप उनके अन्दर हीनता और क्रोध की भावनाऐं आ जाती हैं, जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के अन्दर स्पश्ट रूप से परिलक्षित होती हैं। जैसा कि **अमेरिकन सुप्रसिद्ध समाजषास्त्री टकमन और जॉर्ज[10] (1963)** ने लिखा है कि ''वृद्ध लोग एक ऐसे सामाजिक वातावरण में रह रहे हैं जो समर्थता, उपयोगिता और सुरक्षा की भावनाओं के लिए तथा बाद के वर्शों के सुसमायोजन के लिए हितकर नहीं है।''

वृद्धों के प्रति समाज के लोगों की जो प्रतिकूल सामाजिक दृश्टिकोण तथा सोच हैं उनके फलस्वरूप थोड़ी ही भूमिकाऐं ऐसी बचती हैं जिन्हें वे प्रतिश्ठा और सम्मान के साथ निभा सकते हैं। क्योंकि महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए उन्हें कम आयु वालों से प्रतियोगिता करनी पड़ती है, जिसमें वे असफल होते रहते हैं। इसलिए उन्हें उन भूमिकाओं को स्वीकार करना पड़ता है, जिनसे समाज का युवा वर्ग बचता है; अथवा पसन्द नहीं करता है। ऐसी स्थिति में सुखी होना कठिन होता है और जहॉ वृद्धावस्था का आदर किया जाता है, उन समाजों में वृद्धों को जो मान सम्मान और प्रतिश्ठा प्राप्त होती है, उसकी रक्षा करना असम्भव होता है।

'सामाजिक समायोजन' एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समाज की बदलती हुई परिस्थितियों में अपनी जरूरतों व आवष्यकताओं को यथासम्भव पूरा करने का प्रयास करता है और स्वयं को सामाजिक विशम परिस्थितियों के अनुसार बदल लेता है। व्यक्ति अपने सामाजिक आदर्षों, मूल्यों तथा रीति–रिवाजों के अनुसार कार्य करता है। समाज में जो बात अच्छी समझी जाती है, उसे करके व्यक्ति अपनी सामाजिक प्रतिश्ठा में वृद्धि करना चाहता है। व्यक्ति अपने समाज में अपना स्थान बनाये रखने के लिए स्वयं में कुछ परिवर्तन करता है। और इस बात का ध्यान रखता है कि दूसरे लोग उसे समुचित आदर व सम्मान प्रदान करें। जब तक व्यक्ति समाज के अन्य सदस्यों का समुचित ध्यान नहीं रखता तब तक उसका सामान्य समायोजन सम्भव नहीं होता। चूँकि सेवानिवृत्ति/ वृद्धावस्था में न केवल वृद्धों के लिए; बल्कि सेवानिवृत्तों के लिए भी उनके परिवार और सम्पूर्ण समाज के लिए अनेक समस्याऐं उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए पिछले कुछ समय से जनसंख्या के इस बड़े समूह की ओर समाज के विद्वानों व वैज्ञानिकों का ध्यान आकृश्ट हुआ है। कई विद्वानों ने इससे सम्बन्धित अध्ययन किये हैं तथा षोध कार्य भी हुए हैं। प्रस्तुत अध्याय में यह जानने का प्रयास किया गया है कि सेवानिवृत्ति के बाद विभिन्न परिस्थितियों में सेवानिवृत्त समाज के साथ स्वयं को कितना समायोजित कर पाती हैं। सेवानिवृत्ति महिलाओं के अनुभव भिन्न–भिन्न होते हैं। कुछ जीवन में संतुश्टि का अनुभव करती हैं; और कुछ संतुश्टि का अनुभव नहीं करती हैं। उनके अनुभव में अन्तर कई बातों पर निर्भर होता है। इसलिए यह आवष्यक समझा गया है कि सेवानिवृत्ति महिलाओं के उन अनुभवों सम्बन्धी कारकों का पता किया जाये जिनसे व्यक्तियों के सामाजिक भूमिका निर्वहन तथा सामाजिक समायोजन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

तालिका नं0 6(12): सेवानिवृत्ति से पूर्व की तुलना में सहेलियों से सम्बन्धों का विवरण

क्रम	सहेलियों से सम्बन्ध का स्तर	उत्तरदात्री	
		आवृत्तियॉ	प्रतिषत
1	सभी सहेलियॉ वही हैं	32	08.00
2	कुछ कम हैं	120	30.00
3	कुछ नयी हैं	204	51.00
4	सभी नयी हैं	44	11.00
	कुल योग	400	100.00

प्रस्तुत तालिका 6(12) के प्राथमिक तथ्यों के विष्लेशण से स्पश्ट है कि 32(8:) उत्तरदात्रीओं की सभी सहेलियॉ वही हैं जो सेवानिवृत्ति से पूर्व थी। जबकि 120(30:) उत्तरादात्रीओं की सहेलियॉ पहले की अपेक्षा कुछ कम हैं। 204(51:) उत्तरदात्रीओं की कुछ सहेलियॉ नयी हैं, जबकि 44(11:) उत्तरदात्रीओं की सभी सहेलियॉ नई हैं। बहुत कम उत्तरदात्री ऐसी हैं जिनकी सभी सहेलियॉ वहीं हैं जो सेवानिवृत्ति से पूर्व थी तथा अधिकांष उत्तरदात्रीओं की सहेलियों की संख्या में सेवानिवृत्ति से पूर्व की अपेक्षा सेवानिवृत्ति के बाद परिवर्तन हुआ है। प्राप्त तथ्यों का विष्लेशण करने पर ज्ञात हुआ कि सेवानिवृत्ति के बाद जिन उत्तरदात्रीओं के प्रति पड़ोसियों के दृश्टिकोण में परिवर्तन हुआ, उनकी संख्या 96(24:) है जबकि 304(76:) उत्तरदात्रीओं ने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद पड़ौसियों के दृश्टिकोण में परिवर्तन नहीं हुआ है। इन तथ्यों के विष्लेशण के प्रकाष में स्पश्ट है कि सामान्य तौर पर सेवानिवृत्ति के बाद पड़ौसियों के दृश्टिकोणों में विषेश परिवर्तन नहीं हुआ है।

तालिका नं0 6(13): उत्तरदात्रीओं द्वारा मिलने–जुलने का विवरण

क्रम	उत्तरदात्रीओं से मिलने–जुलने वाले व्यक्ति	उत्तरदात्रीयॉ	
		आवृत्तियॉ	प्रतिषत
अ	1. समान उम्र समूह	156	39.00
	2. स्वयं से कम उम्र समूह	16	04.00
	3. स्वयं से ज्यादा उम्र समूह	––	00.00
	4. सभी स्तर के समूह	228	57.00
ब	1. अवकाष प्राप्त व्यक्ति	152	38.00
	2. कुछ अवकाष प्राप्त तथा कुछ कार्यरत	236	59.00
	3. सभी कार्यरत	12	03.00
स	1. अपने स्तर के	120	30.00
	2. अपने से ऊॅचे स्तर के	56	14.00
	3. सभी प्रकार के स्तरों के	224	56.00
द	1. जो पड़ौस में रहते हैं	96	24.00
	2. जो दूर रहते हैं	68	17.00
	3. पड़ौस तथा दूरस्थ दोनों प्रकार के लोगों से	236	59.00

उपर्युक्त तालिका 6(13) के प्राथमिक तथ्यों से स्पश्ट है कि सेवानिवृत्ति के बाद 156(39:) उत्तरदात्रीयॉ समान उम्र समूह के लोगों के साथ रहते हैं, 16(4:) उत्तरदात्रीयॉ ऐसी हैं जो स्वयं से कम उम्र समूह के लोगों के साथ रहती हैं तथा 228(57:) उत्तरदात्री सभी स्तरों के उम्र समूह के साथ रहती हैं। इनमें एक भी उत्तरदात्री ऐसी नहीं है जो स्वयं से ज्यादा उम्र समूह के लोगों के साथ रहती हो। सेवानिवृत्त महिलाओं के साथ सेवानिवृत्ति के बाद अपना समय व्यतीत करने वाली 152(38:) उत्तरदात्री थीं। 236(59:) उत्तरदात्री ऐसी थीं जो कुछ अवकाष प्राप्त, कुछ कार्यरत व्यक्तियों के साथ रहती हैं, जबकि 12(3:) उत्तरदात्री ही ऐसी थी जो सभी कार्यरत व्यक्तियों के साथ रहती हैं। 120(30:) उत्तरदात्री ऐसी हैं जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने स्तर के लोगों के साथ रहती हैं। 56(14:) उत्तरदात्री अपने से ऊँचे स्तर के लोगों के साथ रहती हैं। जबकि 224(56:) उत्तरदात्री ऐसी हैं जो सभी प्रकार के स्तरों के लोगों के साथ रहती हैं। सेवानिवृत्ति के बाद 96(24:) उत्तरदात्री ऐसे व्यक्तियों के साथ रहती हैं जो पड़ौस में रहते हैं। 68(17:) उत्तरदात्री ऐसी हैं जो दूर रहने वाले व्यक्तियों के साथ अपना अधिकांषतः समय गुजारती हैं। जबकि 236(59:) उत्तरदात्री ऐसी हैं जो दोनों प्रकार अर्थात् पड़ौस में रहने वाले तथा घर से दूर रहने वाले दोनों प्रकार की महिलाओं के साथ अधिकांषतः रहती हैं। स्पश्ट है कि सभी उत्तरदात्री अधिकांषतः भिन्न–भिन्न समूहों तथा स्तरों के लोगों के साथ रहती हैं, उनमें कम समानता है।

तालिका नं0 6(14): उत्तरदात्रीओं व उनकी सहेलियों का आपस में मिलने सम्बन्धी विवरण

क्रम	उत्तरदात्रीओं व उनकी सहेलियों का आपस में मिलने का विवरण	उत्तरदात्रीओं की संख्या (प्रतिषत)	
		उत्तरदात्रीओं का सहेलियों से मिलना	सहेलियों का उत्तरदात्रीओं से
1	पहले की भांति	68(17.00)	96(24.00)
2	उससे अधिक	188(47.00)	176(44.00)
3	उससे कम	144(36.00)	128(32.00)
	योग	400(100.00)	400(100.00)

(नोट कोश्ठकों के अन्तर्गत प्रदर्षित ऑकड़े प्रतिषतता दर्षाते हैं)

प्रस्तुत तालिका 6(14) के प्राथमिक तथ्यों का विष्लेशण से स्पश्ट है कि सेवानिवृत्ति के बाद 68(17:) उत्तरदात्री पहले की भांति ही अपनी सहेलियों से मिलने जाती हैं तथा 96(24:) उत्तरदात्रीओं की सहेलियॉ उनसे सेवानिवृत्ति के पूर्व की भांति मिलने आती हैं।

188(47:) उत्तरदात्री पहले से अधिक अपनी सहेलियों से मिलने जाती हैं। 176(44:) उत्तरदात्रीओं की सहेलियॉ उनसे अब पहले की अपेक्षा अधिक मिलने आती हैं। 144(36:) उत्तरदात्री ऐसी हैं जो सेवानिवृत्ति के पूर्व की अपेक्षा अब अपनी सहेलियों से कम मिलने जाती हैं जबकि 128(32:) उत्तरदात्री ऐसी हैं जिनकी सहेलियॉ अब सेवानिवृत्ति से पूर्व की अपेक्षा कम मिलने आती हैं। निश्कर्शतः उत्तरदात्रीओं का सहेलियों से तथा सहेलियों का उत्तरदात्रीओं से मिलने के स्तर में भिन्नता है।

तालिका नं0 6(15): सेवानिवृत्ति से पूर्व की अपेक्षा सहेलियों द्वारा उत्तरदात्रीओं का स्वागत सत्कार करने की प्रवृत्तियाँ

क्रम	सहेलियों द्वारा स्वागत सत्कार करने सम्बन्धी प्रवृत्तियॉ	उत्तरदात्रीयॉ	
		आवृत्तियॉ	प्रतिषत
1	सभी स्वागत करती हैं	280	70.00
2	कोई–कोई ही स्वागत करती है	120	30.00
3	कोई भी स्वागत नहीं करती है	––	00.00
	योग	400	100.00

प्रस्तुत तालिका 6(15) के प्राथमिक तथ्यों के विष्लेशण से स्पश्ट है कि 280(70:) उत्तरदात्रीओं की सभी सहेलियॉ सेवानिवृत्ति के बाद भी; सेवानिवृत्ति के पूर्व की भॉति ही स्वागत करती हैं। 120(30:) उत्तरदात्री ऐसी हैं जिनकी कोई–कोई सहेली ही स्वागत करती हैं। एक भी उत्तरदात्री ऐसी नहीं पायी गयी है, जिनकी कोई भी सहेली सेवानिवृत्ति से पूर्व की अपेक्षा अब स्वागत न करती हो। इन तथ्यों के विष्लेशण के प्रकाष में स्पश्ट है कि अधिकांषतः उत्तरदात्रीओं की सभी सहेलियॉ; सेवानिवृत्ति से पूर्व की भॉति ही, सेवानिवृत्ति के बाद भी उनका स्वागत सत्कार करती हैं।

तालिका नं0 6(16): सेवानिवृत्ति के बाद सेवा स्थल के सॉस्कृतिक कार्यक्रमों में आमंत्रित करने का विवरण

क्रम	उत्तरदात्रीओं को आमन्त्रित करना	उत्तरदात्रीयॉ	
		आवृत्तियॉ	प्रतिषत
1	सदैव	217	54.25

2	कभी–कभी	120	30.00
3	कभी नहीं	63	15.75
	कुल योग	400	100.00

प्रस्तुत तालिका 6(16) से स्पश्ट है कि 217(54.25:) उत्तरदात्रीओं को सदैव अपने सेवास्थल के सॉस्कृतिक कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाता है। 120(30:) उत्तरदात्रीओं को कभी–कभी अपने सेवास्थल के सॉस्कृतिक कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाता है। 63(15.75:) उत्तरदात्री ऐसी पायी गयी हैं जिन्हें अपने पूर्व के सेवा स्थल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कभी भी आमंत्रित नहीं किया जाता है। स्पश्ट है कि अधिकांषतः उत्तरदात्रीओं को अपने सेवास्थल/ कार्यालय के सॉस्कृतिक कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाता है तथा ऐसी उत्तरदात्री बहुत कम हैं, जिन्हें कभी भी अपने पूर्व के सेवास्थल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आमंत्रित नहीं किया जाता है।

तालिका नं0 6(17): उत्तरदात्रीओं द्वारा समाज कल्याण संस्था सम्बन्धी कार्य का विवरण

क्रम	उत्तरदात्रीओं द्वारा किए जाने वाले सामाजिक कार्य	उत्तरदात्रीयॉ	
		आवृत्तियॉ	प्रतिषत
1	साक्षरता मिषन	57	14.25
2	नेत्र षिविर	40	10.00
3	क्षेत्रीय समाज सेवा	68	17.00
4	राहत कार्य	126	31.50
5	अनाथ आश्रम	16	04.00
6	वृद्धाश्रम	32	08.00
7	कोई कार्य नहीं	61	15.25
	योग	400	100.00

प्रसंगाधीन तालिका 6(17) के प्राथमिक तथ्यों का विष्लेशण करने पर पता चलता है कि अधिकांष उत्तरदात्रीओं ने समाज कल्याण के लिए कार्य किया है, उनमें से 57(14.25:) उत्तरदात्रीओं ने साक्षरता मिषन के लिए कार्य किया है। 40(10:) उत्तरदात्रीओं ने नेत्र षिविर में कार्य किया है। 68(17:) उत्तरदात्री क्षेत्रीय समाज सेवा नामक संस्था के लिए कार्य करती हैं। 126 (31.50:) उत्तरदात्रीओं ने भूकम्प राहत के लिए कार्य किया है। 16(4:) उत्तरदात्रीओं ने अनाथ आश्रम के लिए सहायता की है। 32(8:) उत्तरदात्री ऐसी पायी गयी हैं जो वृद्धाश्रमों

या वृद्धों की सेवा के लिए कार्य करती हैं तथा 61(15.25:) उत्तरदात्री ऐसी हैं जिन्होंने कभी भी समाज संस्था के लिए कार्य नहीं किया। इन उत्तरदात्रीओं में से अधिकांष उत्तरदात्री तो समाज कल्याण के कार्य करती हैं तथा कुछ उत्तरदात्री केवल आर्थिक सहायता करती हैं। कुछ उत्तरदात्री ऐसी भी पायी गयी हैं जो समाज कल्याण के कार्य तो करती हैं मगर किसी समाज कल्याण संस्था से सम्बद्ध नहीं हैं। इन आनुभविक तथ्यों के प्रकाष में स्पश्ट है कि सेवानिवृत्ति महिलाएं समाज के प्रति अधिक संवेदनषील हैं।

तालिका नं0 6(18): उत्तरदात्रीओं का किसी क्लब या किटी पार्टी का सदस्य होने का विवरण

क्रम	क्लब/किटी पार्टी का विवरण	उत्तरदात्रीयॉ	
		आवृत्तियॉ	प्रतिषत
1	पुनर्वास सहायता व मनोरंजन से सम्बन्धित क्लब	209	52.25
2	सेवानिवृत्त व वृद्धजनों के मनोरंजन से सम्बन्धित क्लब	44	11.00
3	समाज सेवा से सम्बन्धित क्लब	96	24.00
4	किसी भी क्लब की सदस्यता नहीं	51	12.75
	योग	400	100.00

प्रसंगाधीन तालिका 6(18) से स्पश्ट है कि 209(52.25:) उत्तरदात्री पुनर्वास सहायता व मनोरंजन से सम्बन्धित क्लब की सक्रिय सदस्य हैं तथा 44(11:) उत्तरदात्री वृद्धजनों व सेवानिवृत्ति व्यक्तियों के मनोरंजन से सम्बन्धित क्लब की सदस्य हैं। 96(24:) उत्तरदात्री समाज सेवा से सम्बन्धित क्लब की सदस्य हैं तथा 51(12.75:) उत्तरदात्री ऐसी भी हैं जो किसी भी क्लब या समिति की सक्रिय सदस्य नहीं हैं। एक भी उत्तरदात्री किसी परिशद या समिति का सदस्य नहीं पायी गयी है।

तालिका नं0 6(19): उत्तरदात्रीओं द्वारा सेवानिवृत्त लोगों के लिए संगठन की आवष्यकता सम्बन्धी विवरण

क्रम	सेवानिवृत्तों/वृद्धों के प्रति उत्तरदात्रीओं के विचार	उत्तरदात्री	
		आवृत्तियॉ	प्रतिषत
1	सेवानिवृत्त लोगों की आवष्यकताओं के अनुरूप सहायता संगठन (वृद्धाश्रम) हों	257	64.25
2	सेवानिवृत्तों/वृद्धों की कानूनी एवं आर्थिक सहायता	128	32.00

	प्रदान करने के लिए संगठन हों		
3	वृद्धाश्रमों की कोई आवष्यकता नहीं है	15	03.75
	योग	400	100.00

प्रस्तुत तालिका से स्पश्ट है कि अधिकांषतः उत्तरदात्री वृद्धाश्रमों का होना जरूरी बताती हैं। उनमें से 257(64.25:) उत्तरदात्रीओं का कहना है कि सेवानिवृत्त लोगों की आवष्यकताओं के अनुरूप वृद्धाश्रमों का निर्माण किया जाए। 128(32:) उत्तरदात्रीओं का मानना है कि ऐसे संगठन हों जो कि वृद्धों को कानूनी व आर्थिक सहायता प्रदान करें, 15(3. 75:) उत्तरदात्री यह मानती हैं कि वृद्धाश्रम वृद्धों के लिए उपयोगी नहीं होते हैं तथा वहाँ पर वृद्धों का पर्याप्त ध्यान नहीं रखा जाता है। इसलिए सेवानिवृत्ति लोगों के लिए वृद्धाश्रमों की कोई आवष्यकता नहीं है। अध्ययन से प्राप्त आनुभविक तथ्यों का विष्लेशण करने पर पता चलता है कि सेवानिवृत्ति के बाद उत्तरदात्रीओं के पड़ौसियों के दृश्टिकोणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन अब उत्तरदात्रीओं की सहेलियों की संख्या में परिवर्तन हुआ है। उत्तरदात्रीओं की सहेलियॉ अधिकांषतः पहले की अपेक्षा अधिक मिलती हैं तथा उत्तरदात्री भी अपनी सहेलियों से अब अधिक मिलने जाती हैं। लगभग एक तिहाई उत्तरदात्री ऐसी हैं जिनकी सहेलियॉ तथा वे स्वयं अब पहले की अपेक्षा कम मिलती हैं। स्पश्ट है कि सेवानिवृत्ति के बाद उत्तरदात्रीओं का अपनी सहेलियों से सम्बन्धों में परिवर्तन हुआ है। इससे स्पश्ट होता हैं कि सेवानिवृत्ति के पष्चात् उत्तरदात्रीओं में सामाजिकता का स्तर **;वबपंस ैजंजनेद्ध** बढ़ा हैं। ऐसी उत्तरदात्रीओं की संख्या अधिक है जो किसी न किसी क्लब की सदस्या हैं तथा सामाजिक कार्यों में भी भाग लेती हैं। परन्तु कुछ उत्तरदात्री ऐसी भी हैं जो न तो किसी क्लब की सदस्य हैं, और न ही सामाजिक कार्यों में ही भाग लेती हैं। इस प्रकार यह स्पश्ट हैं कि जिन उत्तरदात्रीओं में सामाजिक समायोजन की क्षमता है, उनके सामाजिक सम्बन्ध भी अच्छे हैं। लेकिन जिन उत्तरदात्रीओं में सामाजिक समायोजन का अभाव है वे अपनी सामाजिक भूमिकाओं का निर्वहन भली–भॉति नहीं कर पाती हैं। अधिकांषत उत्तरदात्रीओं का मानना है कि सेवानिवृत्ति व उनकी हम उम्र लोगों के लिए वृद्धाश्रमों की विषेश आवष्यकता है। इसमें उनकी आवष्यकताओं का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए तथा उन्हें समस्याओं के समाधान हेतु कानूनी सहायता भी दी जानी चाहिए। निश्कर्शतः जिन व्यक्तियों में सामाजिक समायोजन पाया जाता है वे अपनी सामाजिक भूमिकाओं का निर्वहन भली प्रकार

कर लेते हैं। वे सामाजिक कल्याण के कार्यों में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेते/लेती हैं तथा अपनी जैसी आयु के लोगों के लिए कार्य करना चाहती हैं एवं उनकी समस्याओं को दूर करना चाहती हैं। इनकी मान्यता है कि सेवानिवृत्त (वृद्धजनों) के लिए 'वृद्धाश्रम' अधिक उपयोगी तथा आवष्यक हैं।

आर्थिक समायोजन :

यह सर्व स्वीकार्य तथ्य है कि सेवानिवृत्ति द्वारा व्यक्ति की बहुत सी सामाजिक भूमिकाओं में कमी आ जाती है एवं कभी–कभी अल्प आय के कारण व्यक्ति के जीवन स्तर में भी कमी या बदलाव आ जाता है। इस बदली हुई भूमिका को कुछ लोग नकारात्मक रूप में भी ले लेते हैं, क्योंकि वे अपनी सामाजिक भूमिका के कम हो जाने व खाली समय में बढ़ोत्तरी हो जाने में सार्थक तालमेल नहीं बैठा पाते हैं। प्रस्तुत षोध अध्ययन में सेवानिवृत्त महिलाओं का अध्ययन किया गया है क्योंकि सेवानिवृत्त महिलाएं सामान्य लोगों की अपेक्षा आसानी से समायोजन नहीं कर पाती हैं और उन्हें एकदम बदली हुई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए वे बदली हुई सामाजिक परिस्थितियों से आसानी से तालमेल नहीं बैठा पाती हैं तथा उन्हें सामान्य जीवन में भॉति–भॉति की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सम्भवतः आर्थिक कारण अवकाष–प्राप्ति की प्रक्रिया को; व अवकाष प्राप्ति के पष्चात् समायोजन की प्रक्रिया को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। 90 प्रतिषत लोग अवकाष प्राप्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा के लिए पूरक व्यवसाय या अन्य कोई धनोपार्जन का कार्य करते हैं। ये लोग अपनी आजीविका व अस्तित्व के लिए अधिक संघर्शरत होते हैं, उन लोगों की अपेक्षा जो अधिक सक्षम हैं व आर्थिक रूप से सुरक्षित हैं। यदि सेवानिवृत्ति के साथ आर्थिक कठिनाइयॉ न जुड़ी होतीं, तो वह उनके लिए मनोवैज्ञानिक रूप से उतनी समस्यात्मक न होती जितनी कि होती हैं। लेकिन सेवानिवृत्ति अपने साथ अनेक आर्थिक समस्यायें लेकर आती है, जिनका व्यक्ति के मानसिक स्तर पर, उसकी पारिवारिक स्थिति पर और समाज में उसकी प्रतिश्ठा पर गम्भीर तथा प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है जो अक्सर हानिकारक होता है। सेवानिवृत्ति के बाद अनेक वृद्धों को जीवन की आवष्यक वस्तुओं के लिए वास्तव में धन की जरूरत होती है। व्यक्ति की काम करने की इच्छा के पीछे प्रायः एक अभिप्रेरक होता है, वह है सुखी व स्वथ्य जीवन के लिए पर्याप्त धन की आवष्यकता। जो व्यक्ति अपने भविश्य की सुरक्षा के लिए पर्याप्त धन का प्रबन्ध नहीं कर पाते हैं, वे सेवानिवृत्ति होने से डरते हैं। यह समस्या सेवानिवृत्ति के प्रति व्यवहार को प्रभावित करती है और समायोजन की

समस्यायें बढ़ जाती हैं। ऐसे वृद्ध लोग अपेक्षाकृत कम होते हैं, जिनकी आवष्यकताऐं निवेषों द्वारा होने वाली आय से पूरी होती है। इसलिए अधिकांष व्यक्ति सेवानिवृत्ति के बाद ऐसे कार्य या व्यवसाय अपना लेते हैं, जिनसे उन्हें जीवन की आवष्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन प्राप्त होता रहे। ''आर्थिक समायोजन से तात्पर्य व्यक्ति की उस भूमिका से है जिससे वह अपनी व अपने परिवार के सदस्यों की अनिवार्य आवष्यकताऐं पूर्ण करता है तथा उसे जीवन में आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है; और न ही उसके पारिवारिक व सामाजिक सम्बन्धों पर कोई फर्क पड़ता है।'' **अमेरिका में किए गए एक ताजा अध्ययन (2008) द्वारा पता चलता है कि 65 तथा 65 से अधिक आयु के अमरीकी नागरिकों में केवल एक तिहाई आत्मनिर्भर हैं। षेश दो तिहाई लेागों को पूर्णरूप से या आंषिक रूप से दूसरों की आर्थिक सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है। इसी बात से यह अन्दाजा लगाया जा सकता है कि वृद्धावस्था में आर्थिक कठिनाईयाँ कितनी ज्यादा बढ़ जाती हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति का प्रभाव सबसे अधिक वृद्ध व्यक्तियों पर पड़ता है। जब रहन–सहन की परिस्थितियाँ अच्छी होती हैं, तब सेवानिवृत्तों/वृद्धों की स्थिति भी अच्छी होती है; तथा समाज में उन्हें प्रतिश्ठा प्राप्त होती है, लेकिन जब रहन–सहन की परिस्थितियाँ निम्न स्तर की होती हैं, तब वृद्धों तथा सेवानिवृत्तों की स्थिति बदतर होती है। अस्तु सेवानिवृत्ति से सफलतापूर्वक समायोजन के लिए यह आवष्यक है कि व्यक्ति सेवानिवृत्ति के बाद होने वाले परिवर्तनों के लिए पहले से ही मन से तैयार रहें तथा स्वयं को आर्थिक रूप से सषक्त कर लें।** वर्तमान समय में आर्थिक तैयारी में लोग दिलचस्पी लेते हैं। बड़े–बड़े निगम (कार्पोरेषन) तथा इन्डस्ट्रीज (उद्योग); अपने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की योजनाओं से लाभान्वित करते हैं, ताकि उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक कठिनाईयों का सामना न करना पड़े। अधिकतर कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति का समय निकट आने पर व्यक्तिगत रूप से परामर्ष दिया जाता है, ताकि वे सेवानिवृत्ति से सफलतापूर्वक समायोजन कर सकें। लेकिन वर्तमान विशम परिस्थितियों में ऐसा कम ही विभागों में हो रहा है।

व्यक्ति; सेवानिवृत्ति के पष्चात्; कितनी सफलता के साथ समायोजन करता है यह बात अधिकांषतः उसकी सेवानिवृत्ति के बाद की आर्थिक स्थिति पर निर्भर होती है क्योंकि आर्थिक स्थिति द्वारा ही समाज में व्यक्ति की प्रतिश्ठा बनती है। व्यक्ति के सामाजिक सम्पर्क व सामाजिक कार्यकलापों में भाग लेना और क्लबों का सदस्य बनना या न बनना बहुत कुछ उसकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर होता है। उसी से उसके परिवार के सदस्यों की सेवानिवृत्ति

के बाद उसके प्रति धारणायें बनती या बिगड़ती हैं। अधिकांषतः व्यक्ति सेवानिवृत्ति से पूर्व ही अपनी आवष्यकताओं व उत्तरदायित्वों के अनुरूप ही अपनी आर्थिक योजना बना लेते हैं। प्रायः यह देखा गया है कि जिन व्यक्तियों ने अग्रिम रूप से अपनी आर्थिक योजना बना ली है, उन्होंने अपना सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन अधिक संतुश्टि व सफलता के साथ जिया है; उन लोगों की अपेक्षा जिन्होंने सेवानिवृत्त जीवन के लिए अग्रिम रूप से आर्थिक योजना नहीं बनाई हैं।

प्रस्तुत अध्याय में यह विष्लेशण किया गया है कि सेवानिवृत्त उत्तरदात्रीओं की आय का स्तर क्या है? आय के स्त्रोत क्या हैं? जिन उत्तरदात्रीओं को अभी अपने कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना है जैसे बच्चों की षादी, षिक्षा आदि को अभी पूर्ण करना है, वे अपनी आर्थिक स्थिति से कितने संतुश्ट हैं? सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्तियों को अपने कार्यकाल (सेवा काल) में तथा सेवानिवृत्ति के बाद भी अनेक सुविधायें दी जाती हैं जिससे उनका जीवन स्तर उच्च होता है; तथा सामान्य लोगों से अलग होता है। लेकिन अधिकतर ये सुविधायें उच्च अधिकारियों को ही प्राप्त होती हैं, चूँकि प्रस्तुत अध्ययन में सेवानिवृत्त महिलाओं का अध्ययन किया गया है। जो अधिकॉषतः अधिकारी वर्ग के नीचे के पदों पर कार्यरत थीं, अतः इन्हें उतनी ज्यादा सुविधायें प्राप्त नहीं थीं तथा इनकी आय का स्तर भी उतना अधिक उच्च नहीं था। सेवानिवृत्त महिलाओं को किन–किन आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तथा वर्तमान में वे अपनी आर्थिक स्थिति से कितना सन्तुश्ट हैं? षोध द्वारा इसको जानने का प्रयास किया गया है।

तालिका नं0 6(20): उत्तरदात्रीओं की मासिक आय का विवरण

क्रम	उत्तरदात्रीओं की मासिक आय (रूपयों में)	उत्तरदात्रीओं की संख्या (प्रतिषत)	
		सेवानिवृत्ति से पूर्व	सेवानिवृत्ति के बाद
1	30000 से अधिक	18(04.50)	24(06.00)
2	20000 से 30000	140(35.00)	160(40.00)
3	20000 से कम	242(60.50)	216(54.00)
	योग	400(100.00)	400(100.00)

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका 6(20) के प्राथमिक तथ्यों के विष्लेशण से स्पश्ट है कि सेवानिवृत्ति से पूर्व 18(4.50:) उत्तरदात्रीओं तथा सेवानिवृत्ति के बाद 24(6:) उत्तरदात्रीओं की मासिक आय 20000 रू0 तथा इससे अधिक है, सेवानिवृत्ति से पूर्व 140(35:) तथा सेवानिवृत्ति

के बाद 160(40:) उत्तरदात्रीओं की मासिक आय 30000 से 20000 रूपयों के मध्य तथा सेवानिवृत्ति से पूर्व 242(60.50:) उत्तरदात्रीओं की तथा सेवानिवृत्ति के बाद 216(54:) उत्तरदात्रीओं की मासिक आय 20000 रू0 से कम पायी गयी है। अध्ययन से स्पश्ट है कि अधिकांष उत्तरदात्रीओं की मासिक आय सेवानिवृत्ति के बाद अधिक हो गई है। जिसका कारण महंगाई भत्ता व छटवें वेतन आयोग की षिफारिसों के लागू होने पर पेंषन में भी बढ़ोत्तरी होना है। इसका एक कारण यह भी है कि कुछ उत्तरदात्रीओं से जब मैं व्यक्तिगत रूप से मिली तो उन्होंने बताया कि उनमें से कुछ उत्तरदात्रीओं ने सिर्फ पेंषन को ही मासिक आय में षामिल किया है तथा कुछ उत्तरदात्रीओं ने सहायक तथा मुख्य व्यवसायों से प्राप्त आय को भी मासिक आय में षामिल किया है।

तालिका नं0 6(21): उत्तरदात्रीओं द्वारा सेवानिवृत्ति के पष्चात् आय प्राप्त करने के साधनों का विवरण

क्रम	उत्तरदात्रीओं की आय के विभन्न स्रोत	उत्तरदात्री	
		आवृत्तियॉ	प्रतिषत
1	सिर्फ पेंषन	56	14.00
2	पेंषन व कृशि की उपज	120	30.00
3	पेंषन व परिवार के सदस्यों की आय	57	14.25
4	पेंषन और पूरक व्यवसाय	71	17.75
5	पेंषन और बैंक के सावधि जमा से प्राप्त ब्याज तथा बीमा पॉलिसी	48	12.00
6	पेंषन और मकान का किराया	48	12.00
	योग	400	100.00

प्रस्तुत तालिका 6(21) के प्राथमिक तथ्यों के विष्लेशण से स्पश्ट है कि उत्तरदात्रीओं की आय का स्त्रोत क्या है? विष्लेशण द्वारा पता चला है कि 56(14:) उत्तरदात्रीओं की आय का स्त्रोत सिर्फ पेंषन है, 120(30:) उत्तरदात्रीओं की आय का स्त्रोत पेंषन व कृशि भूमि की उपज द्वारा प्राप्त धन है। 57(14.25:) उत्तरदात्रीओं की आय का स्त्रोत पेंषन व परिवार के सदस्यों की आय है। 71(17.75:) उत्तरदात्रीओं की आय का स्त्रोत पेंषन व पूरक व्यवसाय हैं तथा 48(12:) उत्तरदात्रीओं की आय का स्त्रोत पेंषन और बैंक के सावधि जमा से प्राप्त ब्याज तथा बीमा पॉलिसी हैं। 48(12:) उत्तरदात्रीओं की आय का स्त्रोत पेंषन और मकान का

किराया है। इस प्रकार प्राप्त प्राथमिक तथ्यों के विष्लेशण से स्पश्ट है कि अधिकांष उत्तरदात्रीओं की आय के दो स्त्रोत हैं। सेवानिवृत्त महिलाओं में से मात्र 14: उत्तरदात्री सिर्फ पेंषन पर आश्रित हैं।

तालिका नं0 6(22): उत्तरदात्रीओं की वर्तमान सम्पत्ति का विवरण

क्रम	उत्तरदात्रीओं की सम्पत्ति (रूपयों में)	उत्तरदात्रीयॉ	
		आवृत्तियॉ	प्रतिषत
1	1,00,000 एवं उससे कम	04	01.00
2	1,00,000–1,25,000 रू0	07	01.75
3	1,25,000–1,50,000 रू0	08	02.00
4	1,50,000–1,75,000 रू0	12	03.00
5	1,75,000–2,00,000 रू0	25	06.25
6	2,00,000 रू0 तथा ज्यादा	344	86.00
	योग	400	100.00

प्रस्तुत तालिका 6(22) के प्राथमिक तथ्यों के विष्लेशण से स्पश्ट है कि 100000 रू0 एवं उससे कम सम्पत्ति सिर्फ 4(1:) उत्तरदात्रीओं, 7(1.25:) उत्तरदात्री 100000 से 125000 रू0 तक की सम्पत्ति के मालिक हैं, 8(2:) उत्तरदात्रीओं की सम्पत्ति 125000 से 150000 रू0 के मध्य है। 12(4:) उत्तरदात्रीओं की कुल सम्पत्ति 150000 से 175000 रूपयों के मध्य है। 175000 से 200000 रू0 के मध्य 25(6.25:) उत्तरदात्रीओं की सम्पत्ति है, 200000 रू0 से ज्यादा सम्पत्ति 344(86:) उत्तरदात्रीओं के पास हैं। प्राप्त प्राथमिक तथ्यों के विष्लेशण द्वारा यह भी पता चलता है कि अध्ययन की गई सभी उत्तरदात्रीओं के पास उपर्युक्त सम्पत्ति के अलावा अपना–अपना मकान भी है तथा 50: सेवानिवृत्त महिलाएं वर्तमान समय में अपने मकानों में ही रह रही हैं।

तालिका नं0 6(23): उत्तरदात्रीओं का अपनी आर्थिक स्थिति से सन्तुश्टि के स्तर का विवरण

क्रम	संतुश्टि का स्तर	उत्तरदात्री	
		आवृत्तियॉ	प्रतिषत
1	सामान्य	212	53.00
2	ज्यादा (अधिक)	44	11.00
3	कम	134	33.50
4	बिल्कुल नहीं	10	02.50
	योग	400	100.00

प्रसंगाधीन तालिका 6(23) के तथ्यों के विष्लेशण से स्पश्ट है कि 212(53:) उत्तरदात्री अपनी आर्थिक स्थिति से सामान्य सन्तुश्ट हैं, 44(11:) उत्तरदात्री अपनी आर्थिक स्थिति से ज्यादा सन्तुश्ट हैं, लेकिन 134(33.50:) उत्तरदात्री अपनी आर्थिक स्थिति से अपेक्षाकृत कम सन्तुश्ट हैं। जबकि 10(2.50:) उत्तरदात्री अपनी आर्थिक स्थिति से बिल्कुल सन्तुश्ट नहीं हैं।

उत्तरदात्रीओं से प्राप्त प्राथमिक सूचनाओं से पता चला है कि जिन उत्तरदात्रीओं ने अपनी सम्पत्ति का बॅटवारा कर दिया है उनकी संख्या 60(15:) है और जिन उत्तरदात्रीओं ने अभी अपनी सम्पत्ति का बॅटवारा नहीं किया है उनकी संख्या 340(85:) है। चूॅकि अधिकांषतः सेवानिवृत्त महिलाओं को अपने बच्चों की षिक्षा एवं विवाह आदि की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है, इसीलिए अभी तक उनकी सम्पत्ति का बॅटवारा नहीं हुआ है। अध्ययन से स्पश्ट है कि जिन उत्तरदात्रीओं ने अपनी सम्पत्ति का बॅटवारा किया है, उनके परिवार के सदस्यों के दृश्टिकोणों में बॅटवारे के बाद कोई परिवर्तन नहीं आया है। प्राप्त तथ्यों से यह भी स्पश्ट है कि 352(88:) उत्तरदात्री ऐसी पायी गयी हैं, जिन्होंने अपने सेवाकाल में अपने भविश्य के लिए बचत नहीं की थी, जबकि 48(12:) उत्तरदात्रीओं ने सेवाकाल में अपने भविश्य के लिए बचत की थी। उसका कारण उन्होंने 'परिजनों का ठीक प्रकार से निर्वाह करना' दृश्टिकोण बताया।

तालिका नं0 6(24): सेवानिवृत्ति से पूर्व तथा बाद में आय–व्यय का प्रबन्ध करने वाले सदस्यों का विवरण

क्रम	सदस्यों का विवरण	उत्तरदात्रीओं की संख्या (प्रतिषत)	
		सेवानिवृत्ति से पूर्व	सेवानिवृत्ति के बाद
1	स्वयं	104(26.00)	196(49.00)
2	पति	204(51.00)	36(09.00)
3	स्वयं और पति	––(00.00)	76(19.00)
4	बेटा	24(06.00)	72(18.00)
5	माता–पिता	48(12.00)	––(00.00)
6	भाई	20(05.00)	20(05.00)
	योग	400(100.00)	400(100.00)

प्रस्तुत तालिका 6(24) के प्राथमिक तथ्यों के विष्लेशण से स्पश्ट है कि सेवानिवृत्ति से पूर्व 104(26:) उत्तरदात्री तथा सेवानिवृत्ति के बाद 196(49:) उत्तरदात्री आय–व्यय का प्रबन्ध स्वयं करती हैं। सेवानिवृत्ति से पूर्व 204(51:) उत्तरदात्रीओं के पति तथा सेवानिवृत्ति के बाद 36(9:) उत्तरदात्रीओं के पति आय–व्यय का प्रबन्ध करते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद 76(19:) उत्तरदात्री स्वयं तथा उनके पति मिलकर आय–व्यय का प्रबन्ध करते हैं। सेवानिवृत्ति से पूर्व

24(4:) उत्तरदात्रीओं के पुत्र आय–व्यय का प्रबन्ध करते थे तथा सेवानिवृत्ति के बाद 72(18:) उत्तरदात्रीओं के पुत्र आय–व्यय का प्रबन्ध करते हैं। सेवानिवृत्ति से पूर्व 48(12:) उत्तरदात्रीओं के माता–पिता आय–व्यय का प्रबन्ध करते थे। सेवानिवृत्ति से पूर्व 20(5:) उत्तरदात्रीओं के भाई आय–व्यय का प्रबन्ध करते हैं तथा सेवानिवृत्ति के बाद भी 20(5 प्रतिषत) उत्तरदात्रीओं के भाई आय– व्यय का प्रबन्ध करते हैं। प्राप्त तथ्यों के प्रकाष में स्पश्ट है कि लगभग आधी उत्तरदात्री अपनी आय–व्यय का प्रबन्ध स्वयं ही करती हैं। इसीलिए उन्हें आर्थिक समायोजन में कठिनाई महसूस नहीं होती है।

तालिका नं0 6(25): परिवार से अलग रहने वाले सदस्यों से उत्तरदात्रीओं के सम्बन्धों का कारण

क्रम	उत्तरदात्रीओं से सम्बन्ध का कारण	उत्तरदात्रीओं की संख्या (प्रतिषत)	
		संयुक्त परिवार	एकांकी परिवार
1	सम्मिलित सम्पत्ति	128(32.00)	40(10.00)
2	उत्तरदायित्व निभाना	56(14.00)	60(15.00)
3	धन का लेन–देन सदैव	24(06.00)	––(00.00)
4	धन का लेन–देन कभी–कभी	––(00.00)	44(11.00)
5	एक दूसरे से मिलना	––(00.00)	48(12.00)
	समस्त योग	208(52.00)	192(48.00)

प्रसंगाधीन तालिका 6(25) के प्राथमिक तथ्यों से स्पश्ट है कि संयुक्त परिवारों की 128(32:) उत्तरदात्रीओं तथा एकांकी परिवारों की 40(10:) उत्तरदात्रीओं का परिवार से अलग रहने वाले सदस्यों से सम्मिलित सम्पत्ति का सम्बन्ध है। संयुक्त परिवारों की 56(14:) उत्तरदात्री अपने परिवार के सदस्यों के प्रति उत्तरदायित्व निभाती हैं तथा एकांकी परिवार की 60(15:) उत्तरदात्री अपने परिवार के सदस्यों के प्रति उत्तरदायित्व निभाती हैं। संयुक्त परिवारों की 24(6:) उत्तरदात्री अपने परिवार के सदस्यों के बीच धन का लेन–देन सदैव करती हैं। एकांकी परिवारों की 44(11:) उत्तरदात्रीओं के परिवारों के सदस्यों के बीच धन का लेन–देन कभी–कभी होता है। एकांकी परिवारों की 48(12:) उत्तरदात्री अपने परिवार के सदस्यों से सिर्फ मिलने–जुलने के सम्बन्ध रखती हैं। **इससे पता चलता है कि एकांकी परिवारों की अपेक्षा संयुक्त परिवारों से अलग रहने वाले सदस्यों के मध्य आर्थिक सम्बन्ध अधिक सुदृढ़ हैं। एकांकी परिवार तथा संयुक्त परिवार दोनों की ही उत्तरदात्री आपसी उत्तरदायित्वों को निभाती हैं।** प्राप्त तथ्यों से स्पश्ट है कि अधिकांष उत्तरदात्री अपनी रूचियों

का आर्थिक लाभ के लिए प्रयोग नहीं कर रही हैं। कुछ उत्तरदात्री जो अपनी रूचियों का आर्थिक लाभ के लिए प्रयोग कर रही हैं उनमें से अधिकांषतः ने पूरक व्यवसाय रूप में कृशि व्यवसाय को कराना को प्राथमिकता दी है।

तालिका नं0 6(26): उत्तरदात्रीओं द्वारा समाज कल्याण हेतु आर्थिक सहायता देने का विवरण

क्रम	आर्थिक सहायता देने का विवरण	उत्तरदात्री	
		आवृत्तियॉ	प्रतिषत
1	भूकम्प राहत कोश	128	32.00
2	बाढ़ तथा सूखा राहत सहायता	100	25.00
3	अनाथ व वृद्ध आश्रम	56	14.00
4	समाज कल्याण कार्य (धर्मषाला, कुॅआ व मन्दिर निर्माण आदि)	52	13.00
5	कोई सहायता नहीं	64	16.00
	योग	400	100.00

प्रस्तुत तालिका 6(26) के प्राथमिक तथ्यों से स्पश्ट है कि अधिकांषः उत्तरदात्री समाज कल्याण कार्यों हेतु आर्थिक सहायता दे रही हैं। जिनमें से 128(32:) उत्तरदात्रीओं ने भूकम्प राहत कोश हेतु आर्थिक सहायता दी है, 100(25:) उत्तरदात्रीओं ने बाढ़ तथा सूखा राहत के लिए आर्थिक सहायता दी है, 56(14:) उत्तरदात्री अनाथ कुश्ठ तथा वृद्ध आश्रमों के लिए आर्थिक सहायता देती हैं, जबकि 52(13:) उत्तरदात्रीओं ने समाज कल्याण कार्यों (कुॅआ, धर्मषाला, मन्दिर) के लिए आर्थिक सहायता की है तथा 64(16:) उत्तरदात्री ऐसी हैं जिन्होंने समाज के हितार्थ कोई भी आर्थिक सहायता नहीं दी है।

तालिका नं0 6(27): वृद्धाश्रम के बारे में उत्तरदात्रीओं के विचारों का विवरण

क्रम	उत्तरदात्रीओं के विचार	उत्तरदात्री	
		आवृत्तियॉ	प्रतिषत
1	वर्तमान में आवष्यकता बहुत ज्यादा है	296	74.00
2	घर की अपेक्षा वृद्धाश्रमों में ज्यादा देखभाल होगी		
	कोई आवष्यकता नहीं	84	21.00
3		20	05.00
	योग	400	100.00

प्रसंगाधीन तालिका 6(27) के प्राथमिक तथ्यों से पता चलता है कि 296(74:) उत्तरदात्रीओं का मानना है कि वर्तमान समय में वृद्धाश्रमों की आवष्यकता बहुत ज्यादा है, 84(21:) उत्तरदात्रीओं का कहना है कि घर की अपेक्षा वृद्धाश्रमों में ज्यादा देखभाल होगी। जबकि मात्र 20(5:) उत्तरदात्रीओं का मानना है कि वृद्धाश्रमों की कोई आवष्यकता नहीं है। अधिकांषतः उत्तरदात्रीओं का मानना है कि यदि घर में वृद्धों की उपेक्षा होती है तथा उनकी पर्याप्त देखभाल नहीं की जाती हैं तो उन्हें वृद्धाश्रम में रहने के लिए चला जाना चाहिए जबकि कुछ उत्तरदात्रीओं का मानना है कि वृद्धाश्रम उपयुक्त नहीं होते हैं वहाँ पर घर से अच्छी देखभाल कदापि नहीं हो सकती।

तालिका नं0 6(28): उत्तरदात्रीओं का अपनी हम उम्र महिलाओं को सन्देष देने का विवरण

क्रम	अपनी उम्र की महिलाओं को उत्तरदात्रीओं के सन्देष	उत्तरदात्रीओं की संख्या (प्रतिषत)	
		संयुक्त परिवार	एकांकी परिवार
1	स्वयं को बेकार व कमजोर न समझें	120(30.00)	88(22.00)
2	संयम बनाये रखें, धैर्य से काम लें	40(10.00)	28(07.00)
3	सदैव प्रसन्न रहने की कोषिष करें	160(40.00)	184(46.00)
4	बच्चों को योग्य बनायें	145(36.25)	96(24.00)
5	आर्थिक रूप से सुरक्षित रहें	183(45.75)	132(44.00)
6	दूसरों पर आर्थिक निर्भर न रहें	192(48.00)	124(31.00)
7	स्वयं को अधिकतम व्यस्त रखें	108(27.00)	64(16.00)

;ज्वजंस दनउइमत वि तिमुनमदबपमे पे उवतम जींद 100: कनम जव उनसजपचसम तमेचवदेमेद्ध

उत्तरदात्रीओं ने सर्वेक्षण काल में अपनी हम उम्र महिलाओं को जो संदेष दिये उनमें से संयुक्त परिवार के 120(30:) उत्तरदात्रीओं तथा एकांकी परिवार की 88(22:) उत्तरदात्रीओं का कहना है कि वृद्ध स्वयं को बेकार व कमजोर न समझें। संयुक्त परिवार की 40(10:) उत्तरदात्रीओं तथा एकांकी परिवार की 28(7:) उत्तरदात्रीओं का मानना है कि वृद्धावस्था में वृद्धों को संयम तथा धैर्य बनाये रखना चाहिए। संयुक्त परिवारों की 160(40:) उत्तरदात्रीओं का मानना है कि वृद्धावस्था में सदैव प्रसन्न रहना चाहिए, एकांकी परिवारों की 184(46:) उत्तरदात्रीओं का भी यही मानना है। संयुक्त परिवारों की 145(36.25:) उत्तरदात्रीओं का मानना है कि सभी व्यक्तियों की पहली जिम्मेदारी अपने बच्चों को 'सुसंस्कृत (संस्कार युक्त) बनाना' है। अतः महिलाओं का पहला दायित्व अपने बच्चों को योग्य बनाना होना चाहिए। संयुक्त परिवारों की 183(45.75:) उत्तरदात्रीओं तथा एकांकी परिवारों 132 (44 प्रतिषत)

उत्तरदात्रीओं का मानना है कि वृद्धावस्था में आर्थिक रूप से सुरक्षित रहना चाहिए वरना परिवार के सदस्यों की उपेक्षा का षिकार होना पड़ता है। संयुक्त परिवारों की 192(48:) उत्तरदात्रीओं तथा एकांकी परिवारों की 124(31:) उत्तरदात्रीओं का यह भी मानना है कि वृद्धावस्था में जहाँ तक सम्भव हो दूसरों पर आर्थिक निर्भर नहीं रहना चाहिये। संयुक्त परिवारों की 108(27:) उत्तरदात्रीओं तथा एकांकी परिवारों के 64(16:) उत्तरदात्रीओं का यह मानना है कि वृद्धावस्था में भी व्यक्ति को व्यस्त रहना चाहिये। उन्हें घर के कामों में हाथ बॅटाकर (जहॉ तक सम्भव हो) सहायता करनी चाहिये। इससे उन्हें बेकारी की स्थिति से मुक्ति मिलेगी तथा समय का सदुपयोग भी हो जाएगा। कुछ उत्तरदात्री ऐसी थी जिनके बच्चे नही हैं तथा कुछ उत्तरदात्रीओं के बच्चे आत्मनिर्भर हैं तथा आर्थिक रूप से सम्पन्न हैं। अधिकांष उत्तरदात्रीओं के बच्चे आत्मनिर्भर नहीं हैं, उन्हें बच्चों की षिक्षा आदि का व्यय स्वयं ही बहन करना पड़ता है। यद्यपि अधिकांषतः उत्तरदात्री अपनी आर्थिक स्थिति से कम संन्तुश्ट थी लेकिन उन्हें आर्थिक कठिनाईयों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। कुछ उत्तरदात्री ऐसी हैं जो आर्थिक कठिनाई महसूस कर रही हैं। प्राप्त प्राथमिक आनुभविक तथ्यों का विष्लेशण करने पर यह पता चलता है कि उत्तरदात्रीओं के आय के स्तरों व उत्तरदायित्वों द्वारा ही उत्तरदात्रीओं की आर्थिक सन्तुश्टि निर्भर होती है। जिन उत्तरदात्रीओं की आर्थिक स्थिति अच्छी है, उन्हें आर्थिक कठिनाईयों को सामना कम ही करना पड़ता है। लेकिन जिन उत्तरदात्रीओं की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उन्हें अत्यधिक आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। बहुत कम उत्तरदात्री ऐसी हैं जो अपनी आर्थिक स्थिति से पूर्णतया संतुश्ट हैं। लगभग (50:) उत्तरदात्री सामान्य रूप से ही सन्तुश्ट हैं तथा एक तिहाई से अधिक उत्तरदात्री अपनी आर्थिक स्थिति से कम सन्तुश्ट हैं। जो उत्तरदात्री अपनी आर्थिक स्थिति से बिल्कुल भी सन्तुश्ट नहीं हैं, उनकी संख्या लगभग नगण्य है। संयुक्त परिवारों में अधिकांषतः उत्तरदात्रीओं के परिवार से सम्पत्ति के सम्बन्ध हैं। एकांकी परिवारों की अधिकांषतः उत्तरदात्रीओं के परिवार से अलग रहने वाले सदस्यों से सिर्फ मिलने–जुलने तथा उत्तरदायित्व निभाने के सम्बन्ध हैं। उत्तरदात्रीओं ने अपनी हम उम्र महिलाओं को सुझाव (संदेष) देते हुए कहा है कि जहॉ तक सम्भव हो वे स्वयं सदैव प्रसन्न रहें तथा स्वयं को बेकार व कमजोर न समझें। उत्तरदात्रीओं का यह भी मानना है कि सेवानिवृत्ति (वृद्धावस्था) में आर्थिक रूप से सुरक्षित रहना चाहिये, ताकि भविश्य में कठिनाईयों का सामना न करना पड़े। लगभग सभी उत्तरदात्रीओं का मानना है कि वृद्धाश्रम वर्तमान

समय में आवष्यक होते जा रहे हैं तथा वृद्धाश्रमों में घर की अपेक्षा अधिक देखभाल होती है। सिर्फ तीन उत्तरदात्रीओं का मानना है कि वृद्धाश्रमों की आवष्यकता नहीं हैं। निश्कर्शतः यदि आर्थिक स्थिति अच्छी हैं तो व्यक्ति अपने आर्थिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन भली प्रकार कर सकेगा तथा उसे आर्थिक सन्तुश्टि भी होगी। किन्तु यदि आय का स्तर आवष्यकताओं की अपेक्षा कम है; तो व्यक्ति की आर्थिक सन्तुश्टि एवं आर्थिक समायोजन निष्चित तौर पर उससे नकारात्मक दिषा में प्रभावित होंगे।

KKKKKK

सन्दर्भ–सूची

1. मैकाइवर, आर.एम. एवं पेज, सी.एच. (1953) सोसाइटी, द मैक–मिलन एण्ड कं0 लिमि0, लन्दन, पृश्ठ 238
2. जॉनसन, एच.एम. ; (1969) सोषियोलॉजी, सिस्टेमेटिक इंट्रोडक्षन, रूटलैज एण्ड कीगन पॉल, (प्रा0लिमि0) लन्दन, पृश्ठ 112
3. थॉमस, एम.जे. ; (1960) रोल एण्ड थ्योरी, जॉन विले एण्ड सन्स (प्रा.लि.), लन्दन, पृश्ठ 32
4. बेली, एफ.जी. ; (1960) 'भारत में संयुक्त परिवार', 'इकोनोमिक वीकली', 20 फरबरी, 1960, बाम्बे, पृश्ठ 10

5.	कार्वे, इरावती ;	(1953)	'किनषिप ऑर्गेनाइजेषन इन इण्डिया' डीकन कालेज प्रकाषन, पूना, पृ.10
6.	ऑगबर्न, डब्ल्यू.एफ. एवं निमकॉफ एम.एफ.	(1957)	ए हैण्डबुक ऑफ सोसाइटी, रूटलैज एण्ड कीगन पॉल (प्रा0लिमि0), लन्दन, पृश्ठ 459
7.	मैकाइवर, आर.एम. एण्ड पेज, सी.एच.	(1953)	सोसाइटी, द मैक–मिलन एण्ड कं0 लिमि0, लन्दन, पृश्ठ 5
8.	डेविस, किंग्स्ले ;	(1959)	ह्यूमन सोसाइटी, द मैक–मिलन एण्ड कम्पनी लि0, न्यूयार्क, पृश्ठ–25
9.	ग्रीन, ए.डब्ल्यू. ;	(1960)	सोषियोलॉजी, मैक ग्रो–हिल बुक कम्पनी, कोगाकुषा, हॉल्ट न्यूयार्क, पृश्ठ–127
10.	टकमैन, जे. एण्ड आई. जॉर्ज ;	(1963)	एटीट्यूड टुवर्ड ओल्ड प्यूपल, 'जर्नल ऑफ सोषियोलॉजी', हॉल्ट, न्यूयार्क, पृश्ठ 67

KKKKKK